कार्यलय तहसीलदार (भू.अ.) जायल

क्रमांक/भू.अ./2020/2618 दिनांक 7-9-2020

प्रेषिति– श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

जायल

विषय–प्रकरण धारा 251 (ए) की जांच करवाकर मौका रिर्पोट भेजने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आपके न्यायालय के प्रकरण सं. 22/2019 अनवान चतराराम बनाम गंगाराम की जांच भू.अ.निरिक्षक से करवाई गई,उक्त प्रकरण राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) से सम्बन्धित है। उक्त प्रकरण की जांच होकर भू.अ.निरिक्षक द्वारा तैयार की गई मौका रिर्पोट मय आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर इस कार्यालय में जमा हो जाने से इस पत्र के संलग्न श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न मौका रिर्पोट मय दस्तावेज

7/9/2020

तहसीलदार (भू.अ.) जायल

तहसीलदार (भू.अ.) जायल

मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 24-08-20 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय जायल के आदेशानुसार प्रकरण सं. 22/2019 अन्तर्गत चतराराम बनाम रामनिवास वगै० मौजा गोराऊ धारा 251 ए की जांच बाबत मौके पर पटवारी हल्का के साथ पहुंचा। मौके पर प्रार्थी चतराराम s/o टीकूराम जाट हाजिर मिला। खसरा नं. 1053/789 रकबा 2.1934 है। चतराराम s/o टीकूराम जाट सा. गोराऊ के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। खसरा 1053/789 रकबा 2.1934 है। में आने जाने हेतु रास्ता चाहता है खसरा 792 में से।

खसरा नं. 792 रकबा 1.3678 है रामनिवास s/o गुमानाराम 1/4, गंगाराम s/o गुमानाराम 1/4, जगदीश s/o गुमानाराम 1/4 हरीराम s/o गुमानाराम 1/4 कौम जाट सा. गोराऊ के नाम डिगावरी राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

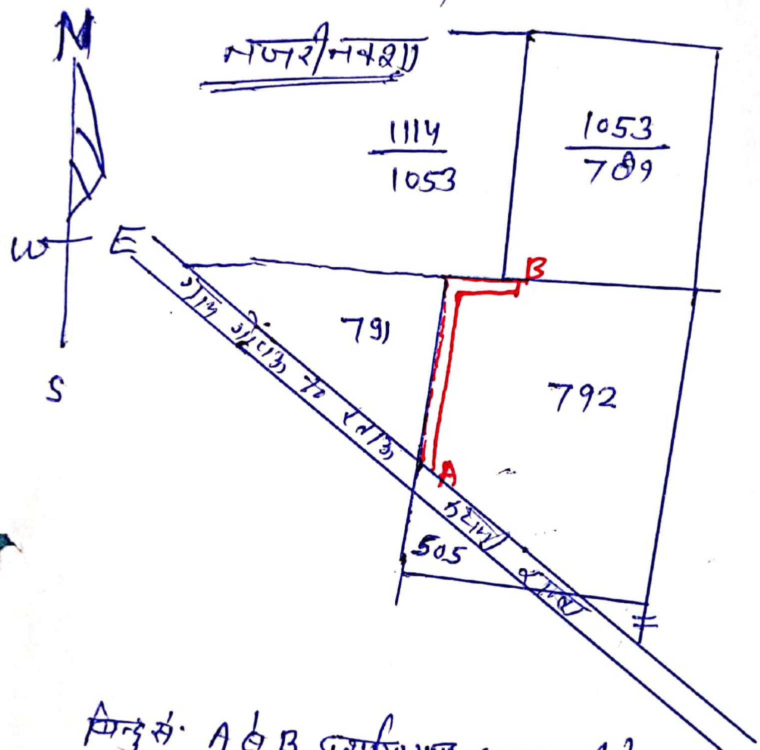

बिन्दु सं. A से B दर्शाया गया लाल स्याही से प्रस्तावित कच्चा रास्ता है।

बिन्दुवार रिपोर्ट निम्न प्रकार है

(1) प्रार्थीगण के खेत में आने जाने हेतु मौके पर वैकल्पिक रास्ता मौजूद है खसरा 792 में।

(2) प्रार्थी के खेत खसरा 1053/789 में जाने के लिए करणा रास्ता से कच्चा रास्ता बिन्दु A से B दर्शाया गया है।

(3) प्रस्तावित रास्ता स्थल पर कच्चा/पक्का निर्माण नहीं है।

(4) रास्ते में आनेवाले खसरा 792 रकबा 1.3678 है में से 0.0405 हे. भूमि रास्ता में जायेगी। रास्ता की चौड़ाई 15 फीट है।

बिन्दु सं A से B दर्शाया गया रास्ता धारा 251 ए के तहत दिलवाया जाना उचित है।

P.T.O.

Scanned with CamScanner

ग्राम गोठड़ा की डीएलसी दर 177767 रूपये प्रति बीघा है।
मौका रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई। उपस्थित मौतबिरान के हस्ताक्षर करवाये गये।

अंगूठा निशान
आ. नि. पतराराम

(हनिराम)
पटवारी (भू.अ.)
पटवार मण्डल गोठड़ा
तह. जायल (नागौर)
24-08-2020

परसाराम मेहरा
निरीक्षक (भू.अ.) वृत्त दुगोली
तहसील जायल (नागौर)
24-08-2020

C.S.

[signature]
30/12/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

चतराराम बनाम गंगाराम वगैरह
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 22/2019

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला-नागौर

बइजलास – रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 22/2019

प्रार्थी :-

1. चतराराम पुत्र टीकूराम
   जाति-जाट, निवासी-गौराऊ तहसील-जायल जिला-नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. गंगाराम पुत्र गुमानाराम
2. जगदीश पुत्र गुमानाराम
3. रामनिवास पुत्र गुमानाराम
4. हरीराम पुत्र गुमानाराम
   जातियान-जाट निवासीगण-गौराऊ, तहसील-लाडनूं जिला-नागौर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1. अधिवक्ता श्री हनुमानराम मण्डा प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता 1 से 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।
3. अप्रार्थी संख्या 5 उपस्थित।

-: : आदेश : : -

प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नं. 1053/789 रकबा 2.1934 हैक्टेयर मौजा गौराऊ में स्थित है। जिसमें प्रार्थी की रहवासी ढाणी है। प्रार्थी के इस खेत के चिपता ही दक्षिणी तरफ अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 का कब्जा काश्त एवं खातेदारी का खेत खसरा नं. 792 रकबा 1.3678 हैक्टेयर वाकै मौजा गौराऊ है। अप्रार्थीगण के उपरोक्त खेत के चिपता ही दक्षिणी तरफ मुरड़िया सड़क आम कटाणी रास्ता ग्राम गौराऊ से ग्राम रताऊ आई हुई है। प्रार्थी अपने खेत खसरा नं. 1053/789 में कटाणी रास्ते से फंटकर अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 792 में इस खेत की उत्तरी माठ के सहारे-2 चलकर अपने खेत की उत्तरी पश्चिमी कूट तक अर्सा कदीमी रिवासी रास्ता 12 फुट चौड़ाई का अपने गाड़ी छकड़े मवेश आदि लाता ले जाता रहा है एवं आवागमन करता रहा है। उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक

28/12/2020
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

रास्ता नहीं है तथा कटाणी रास्ता से अपने खेत में आवागमन का सबसे नजदीक यही रास्ता है, जिसे प्रार्थना पत्र में संलग्न नजरी नक्शा में मार्क अ से ब (ए से बी) दर्शाया गया है जो प्रार्थना पत्र का अभिन्न भाग है।

करीब 10 दिन पहले अप्रार्थीगण प्रार्थी इस रास्ते का उपयोग व उपभोग करने से मना करने से मना करते हुये बदनियती से उक्त रास्ता को अवरूद्ध कर दिया। आपसी बातचीत एवं सुलह नहीं होने से प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के खेत खसरा नं. 1053/789 में से आने जाने के लिए अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के खेत खसरा नं. 792 में से रास्ता 12 फीट चौड़ाई एवं 560 फीट लम्बाई में रास्ता माफिक नजरी नक्शा मार्क ए से बी उपलब्ध कराया जावे। प्रार्थी को अपने खेत में प्रवेश हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं होने तथा रास्ते की आत्यान्तकि आवश्यकता होने पर प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया जिसे माफिक नजरी नक्शानुसार स्वीकार किया जावे। उक्त रास्ते के एवज में नियमानुसार प्रतिकर राशि डीएलसी दर के अनुसार प्रार्थी अप्रार्थी को भुगतान करने में सहमत है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 को जरिये सम्मन तलब किया गया, तथा अप्रार्थी संख्या 5 को हस्तगत प्रकरण में बिन्दूवार मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई, जिसकी पालना में मौका रिपोर्ट दिनांक 07.09.2020 को प्राप्त हुई। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 बावजूद सूचना एवं नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 08. 07.20 में तहसीलदार जायल ने बताया कि प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए मौके पर वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी के खेत खसरा नं. 1053/789 में जाने के लिए कटाणी रास्ता से कम दूरी का रास्ता बिन्दू संख्या ए से बी नजरी नक्शानुसार है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये वांछित रास्ता पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं किया हुआ है। प्रस्तावित रास्ते के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से खसरा नं. 792 में से 0.0405 हैक्टर भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उक्त खसरा की डी.एल.सी. दर राशि 17767 रू. प्रति बीघा है तथा मौका रिपोर्ट में प्रदर्शित नजरी नक्शानुसार रास्ता मार्क ए से बी दिलाये जाने की अभिशंषा भी की है।

प्रकरण के विचाराधीन रहते वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सी.पी.सी. का दिनांक 20.10.2020 को पेश किया। जो स्वीकार किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है तथा हस्तगत प्रकरण अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधीनियम 1955 के तहत है

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

जो संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceeding) का होने से वकुलाय की सहमति व निवेदन पर हस्तगत प्रकरण में बहस अन्तिम हेतु तारीख नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नं. 1053/789 रकबा 2.1934 हैक्टेयर मौजा गौराऊ में स्थित है। जिसमें प्रार्थी की रहवासी ढाणी है तथा दक्षिणी तरफ अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 का कब्जा काश्त एवं खातेदारी का खेत खसरा नं. 792 रकबा 1.3678 हैक्टेयर वाकै मौजा गौराऊ है। अप्रार्थीगण के उपरोक्त खेत के चिपता ही दक्षिणी तरफ मुरड़िया सड़क आम कटाणी रास्ता ग्राम गौराऊ से ग्राम रताऊ आई हुई है। प्रार्थी अपने खेत खसरा नं. 1053/789 में कटाणी रास्ते से फंटकर अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 792 में इस खेत की उत्तरी माठ के सहारे–2 चलकर अपने खेत की उत्तरी पश्चिमी कूट तक अर्सा कदीमी रिवासी रास्ता 12 फुट चौड़ाई का अपने गाड़ी छकड़े मवेशी आदि लाता ले जाता रहा है एवं आवागमन करता रहा है। प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा कटाणी रास्ता से अपने खेत में आवागमन का सबसे नजदीकी रास्ता जिसे प्रार्थना पत्र में संलग्न नजरी नक्शा में मार्क अ से ब (ए से बी) दर्शाया गया है, ही है।

अप्रार्थीगण प्रार्थी इस रास्ते का उपयोग व उपभोग करने से मना करने से मना करते हुये बदनियती से उक्त रास्ता को अवरूद्ध कर दिया। आपसी बातचीत एवं सुलह नहीं होने से प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थी के खेत खसरा नं. 1053/789 में से आने जाने के लिए अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के खेत खसरा नं. 792 में से रास्ता 12 फीट चौड़ाई एवं 560 फीट लम्बाई में रास्ता माफिक नजरी नक्शा मार्क ए से बी के संबंध में स्वीकार किया जावे तथा रास्ता उपलब्ध कराया जावे। प्रार्थी को अपने खेत में प्रवेश हेतु तथा मवेशी लाने ले जाने तथा कृषि कार्य हेतु संसाधन लाने ले जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं होने तथा रास्ते की आत्यान्तकि आवश्यकता है, उक्त रास्ते के एवज में नियमानुसार प्रतिकर राशि डीएलसी दर के अनुसार प्रार्थी अप्रार्थी को भुगतान करने में सहमत है।

वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल का अवलोकन किया गया तथा बहस वकील पर मनन किया गया। तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट में प्रार्थी के खेत खसरा नं. 1053/789 में प्रवेश हेतु खसरा नं. 792 व खसरा नं. 505 के बीच से खसरा नं. 542 सड़क ग्राम गौराऊ से रताऊ प्रदर्शित है तथा नजरी नक्शा में मार्क ए से बी लाल स्याही से अंकन भी किया हुआ है तथा वैकल्पिक रास्ता भी खसरा नं. 792 में से ही था जो खसरे के बीच में से था अब प्रार्थी ने अप्रार्थी के खेत दो भागों में विभक्त न हो

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल,जिला नागौर

Scanned with CamScanner

इसलिए सींव माठ पर से रास्ते की की मांग की गई। इसी प्रकार प्रार्थी के खेत खसरा नं. 1053/789 में प्रवेश हेतु न्यूनतम दूरी का रास्ता भी मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल से यहीं होना तथा प्रार्थी को कृषि कार्य हेतु रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता होना सिद्ध होता है। अतः उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : : आदेश : : —

यत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण माफिक नजरी नक्शानुसार ग्राम गौराऊ तहसील जायल के खसरा नं. 792 में से तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 07.09.2020 के अनुसार डोटेट मार्क ए—बी के अनुसार 15 चौड़ाई का स्वीकृत व घोषित किया जाता है। तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 07.09.2020 हस्तगत प्रकरण में निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त ग्राम गौराऊ तहसील जायल के खसरा नं. 792 में से रास्ते के उपयोग हेतु आने वाली भूमि के एवज में प्रभावित खातेदार कृषक को प्रार्थी चतराराम से भूमि की वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर अनुसार 2 गुणा राशि (माफिक मौका रिपोर्ट/तकमीना) का नियमानुसार भुगतान कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करे तथा माफिक आदेश बाद अपील मियाद के न्यायालय आदेश के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28/12/2020 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

28/12/2020
(रवीन्द्र कुमार)(एस.डी.ओ.)
सहायक कलक्टर
एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

Scanned with CamScanner